आर.डी. 1985 पेज 170 व आर.आर.डी. 1995 पेज 120 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का जहां तक प्रश्न है तो वकील रैस्पों0 द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1992 पेज 226 पर उद्धरित निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने को इस आधार पर तस्दीक नहीं किया जाना कि पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है, उचित नहीं है। क्योंकि नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के हक–हकूक तय नहीं होते हैं। इसलिए उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित प्रतीत होता है। वकील रैस्पों0 की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2009 डी.एन.जे.(एस.सी.)पृष्ठ संख्या 1 पर उद्धरित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 सी. व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से वसीयत को पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं करवाया जा सका है। इसलिए उक्त नजीर के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2018 जो कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 की पालना में पारित किया गया है, यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर